

न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

विविध आपराधिक प्र.क.35 / 2015
संस्थित दि. 24.06.2015

सलमाबाई पति बावल्या उर्फ बालु उर्फ बाबू
उम्र 45 वर्ष, व्यवसाय-कुछ नहीं, निवासी
ग्राम सुराना, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.आवेदिका

वि रु द्ध

बावल्या उर्फ बालु उर्फ बाबू पिता नजीर खान
उम्र 50 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम
गोलाटा, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अनावेदक

आवेदिका द्वारा अधिवक्ता – श्री संजय गुप्ता

अनावेदक द्वारा अधिवक्ता – श्री एल.के.जैन

–: आदेश :-

(आज दिनांक 28-02-2017 को पारित)

01— इस आदेश के द्वारा आवेदिका का आवेदन दं.प्र.सं. की धारा 125 दि. 24.06.15 का निराकरण किया जा रहा है जिसके माध्यम से आवेदिका ने पूर्व पति अनावेदक से प्रति माह रुपये 10,000/- भरण-पोषण दिलाने की प्रार्थना की है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से इस्लामिक रीति रिवाज सुराना नगर में हुआ था तथा अनावेदक ने आवेदिका को दि. 03.04.1996 को तलाक दे दिया था तथा उसके पश्चात आवेदिका ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

03— आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका कोई काम-व्यवसाय नहीं करती है, उसकी आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक कृषि कार्य करता है एवं प्रति वर्ष रुपये 2.50 लाख की आय अर्जित करता है तथा आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम है। आवेदिका को भरण-पोषण, दवाई गोली हेतु प्रतिमाह रुपये 10,000/- की आवश्यकता है। आवेदिका अक्सर बीमार रहती है। आवेदिका द्वारा पूर्व न्यायालय में भरण-पोषण का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा दि. 07.12.1996 को आदेश पारित कर आवेदिका का भरण-पोषण का आवेदन आंशिक रूप से निरस्त किया गया था, जिसकी पुनरीक्षण याचिका माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत करने पर आवेदिका के पक्ष में दि. 10.07.1997 को आदेश पारित कर आवेदिका को दि. 04.01.1996 से विवाह विच्छेद दि. 03.04.1996 तक भरण-पोषण की राशि रुपये 400 प्रतिमाह दिलाई गई, लेकिन माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत शबाना बानो विरुद्ध इमरान खान में मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी दं. प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण पाने का अधिकार माना गया है इसलिये आवेदिका ने अनावेदक से प्रतिमाह रुपये 10,000/- की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

04— अनावेदक की ओर से उक्त आवेदन का लिखित उत्तर एवं विरोध दि. 05.10.15 को प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष तथ्यों से इंकार किया है तथा स्पष्ट किया है कि आवेदिका स्वस्थ महिला है एवं मजदूरी करके प्रतिदिन 100-150 रुपये की आय प्राप्त कर लेती है। आवेदिका का पुत्र रमजान इंदौर में प्राइवेट नौकरी करके प्रति माह रुपये 15,000/- की आय प्राप्त करता है तथा अपनी मां का भरण-पोषण कर रहा है। अनावेदक के पास केवल 90 डेसीमल की कृषिभूमि है जिसमें कृषि करके वह प्रति वर्ष लगभग 20 से 25 हजार की आय अर्जित कर पाता है इसके अलावा अनावेदक का आय का कोई अन्य साधन नहीं है उक्त आय से वह मुश्किल से अपनी पत्नी व अपना भरण पोषण कर पाता है। आवेदिका को कोई बीमारी नहीं है तथा आवेदिका अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। उसका पुत्र रमजान उसके साथ निवास करता है। आवेदिका ने अपने पुत्र रमजान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है तथा आवेदिका ने बहुत अधिक विलंब से लगभग 19 वर्ष के बाद भरण पोषण का यह आवेदन पेश किया है जो प्रचलन योग्य नहीं है।

05— प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न	निष्कर्ष
(i)	क्या आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है?	प्रमाणित।
(ii)	क्या अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम है?	प्रमाणित
(iii)	यदि हां ? तो क्या आवेदिका, अनावेदक से प्रति माह रुपये 10,000/- या अन्य कोई धन राशि भरण-पोषण के रूप में पाने की अधिकारी है?	हां, केवल प्रतिमाह रुपये 3000 भरण पोषण पाने के अधिकारी है।
(iv)	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन की बाधा आती है?	नहीं।
(v)	क्या आवेदिका का उक्त आवेदन विलंब से पेश होने के कारण प्रचलन योग्य नहीं है?	प्रचलन योग्य है।

- विचारणीय प्रश्न क. (i),(ii),(iii) पर सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका सलमा (आ.सा.1) का कथन है कि अनावेदक उसे लगभग 19 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति अनुसार तीन बार तलाक दे दिया था। उसने अपने पति के विरुद्ध भरण-पोषण का दावा लगाया था, जिसमें न्यायालय द्वारा उसे विवाह विच्छेद दिनांक तक भरण पोषण का आदेश दिया था। अनावेदक ने तलाक के बाद उसके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की। वह कोई कार्य व्यवसाय नहीं करती है। वह अस्वस्थ रहती है और कोई भी कार्य व्यवसाय करने में समर्थ नहीं है। अनावेदक की ग्राम गोलाटा में

लगभग ढेड एकड़ सिंचित कृषिभूमि है, जिसमें उसके पति को प्रतिवर्ष लगभग ढेड से दो लाख रुपये की आय प्राप्त की जाती है। उसने अनावेदक की कृषिभूमि के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जो प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श पी 2 है। उसे अनावेदक से प्रतिमाह भरण पोषण हेतु 8,000 से 10,000 की आवश्यकता है जो अनावेदक अदा करने में सक्षम है। पहले वह अपनी मां के साथ रहती थी और उसकी मां उसका भरण पोषण करती थी, अब उसकी मां की आयु लगभग 90 वर्ष हो चुकी है और अब उसकी मां उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है।

07— अनावेदक की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में आवेदिका ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श पी 2 की संयुक्त कृषि भूमि उसके पति और ससुर के नाम पर दर्ज है, उसमें कुआ नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकती है कि उक्त कृषिभूमि में क्या फसल बोई जाती है और क्या आमदनी होती है। उसके पिता-माता और भाई के नाम कोई कृषि भूमि नहीं है। उसकी मां की आय का कोई साधन नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी मां का खर्चा उसके भाई की आमदनी से चलता है। वह अपनी माता के साथ रहती है, भाई के साथ नहीं रहती है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह अपनी मां से रुपये लेती है, उसका भाई उसे कोई रुपये नहीं देता है। उसकी माता उसे बाजार-हाट के लिये रुपये 50 से 100 देती है और उक्त सामान से उसका एवं उसकी मां का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त के अतिरिक्त उसे कभी-कभी अपनी मां से 100 से 200 रुपये अलग से लेना पड़ जाता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकती है कि उसे खर्च के लिये कितनी रूपयों की आवश्यकता होती है। आवेदिका ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अनावेदक को उसकी कृषिभूमि से प्रति वर्ष केवल 20 से 25 हजार रुपये आय प्राप्त होती है। आवेदिका ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह स्वस्थ महिला है और मजदूरी करके प्रति माह रुपये 3000 से 4000 आय प्राप्त करती है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि उसने ईलाज के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

08— साबिर (आ.सा.2) का कथन है कि आवेदिका उसकी बुआ है। आवेदिका को अनावेदक ने 19 वर्ष पूर्व तलाक दिया था तब से आवेदिका अपनी मां के साथ निवास करती है। उसके पिता आवेदिका की मां को पैसे देते थे उससे ही आवेदिका का भरण पोषण होता है। अनावेदक गोलाटा में रहता है, खेती का कार्य करता है। अनावेदक के पास लगभग 9 एकड़ कृषिभूमि है। आवेदिका कोई काम नहीं करती है, वह अस्वस्थ, बीमार रहती है और काम नहीं करती है। आवेदिका को प्रति माह रुपये 8,000/- की आवश्यकता है जो अनावेदक देने में सक्षम है। अनावेदक की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी दादी की आय का कोई साधन नहीं है। उसके पिताजी उसकी दादी को खर्च के रुपये प्रति सप्ताह रुपये 500 से 700 देते थे। आवेदिका की मां की उम्र लगभग 95 वर्ष है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आवेदिका उसकी मां की सेवा करती है और दादी के खान पान का जो सामान आता है उसमें से आवेदिका का भी खर्च चल जाता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आवेदिका का खर्च प्रति माह रुपये 8,000/- वह अंदाज से बता रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आवेदिका को कोई खर्च की आवश्यकता नहीं है अथवा वह आवेदिका के कहने से असत्य कथन कर रहा है।

09— बालु (अना.सा.1) का कथन है कि वह कृषि करता है। उसके पिता एवं उसकी लगभग 2 एकड़ कृषि भूमि है। खेती के अलावा उसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है। उसे रुपये 20,000 एकड़ के मान से फसल होती है, जिसमें से फसल खर्च भी कटता है। एक वर्ष में लगभग 5,000/— फसल खर्च आता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी जिन्नतबाई एवं वह रहते हैं। उसे अपने पिता की कृषि भूमि से आय भी प्राप्त होती है। सालभर में उसे और उसकी पत्नी को अपने खर्च के लिये 15 से 20 हजार रुपये की आवश्यकता होती है। उसकी आमदनी खर्च में ही समाप्त हो जाती है। सलमा उसकी पहली पत्नी है, सलमा का पुत्र रमजान है। सलमा सुराना में खेती मजदूरी का कार्य करके प्रतिदिन रुपये 100 की आय प्राप्त करती है। सलमा स्वस्थ होकर भरण पोषण करने में सक्षम है। उसकी बचत आमदनी कुछ नहीं होती है। वह सलमा का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है।

10— आवेदिका की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में अनावेदक ने स्वीकार किया है कि उसके परिवार में कुल 15 एकड़ जमीन है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने सुराना में सलमा को मजदूरी करते जाते नहीं देखा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आवेदिका सुराना में अपनी मां के साथ रहती है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी कृषि भूमि सिंचित है और सालभर में दो फसल हो जाती है। उसने वर्ष 2015 में अपनी जमीन में गन्ने की फसल बाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि एक बार गन्ने लगाने के बाद दो बार दो वर्ष तक फसल काटकर बेच सकते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह शुरू से कृषि का कार्य करता है, उसे कृषि कार्य का अच्छा अनुभव है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिताजी खेती की आय का बंटवारा उन लोगों के बीच में करते हैं। गन्ने की एक फसल से एक साल में दो फसल आती है उसमें 25,000 की आय होती है। उसके पास दो बैल एवं दो भैंस हैं, भैंसे दूध देती हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण कृषि भूमि में सालभर में लगभग ढाई से तीन लाख रुपये आमदनी होती है, जिससे परिवार का खर्च एक साथ चलता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि एक साथ रहने से परिवार का खर्च कम होता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वर्तमान में हर व्यक्ति को भरण-पोषण में अच्छा खर्च लगता है और आवेदिका को भी लगता होगा। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह स्वस्थ है और आवेदिका को भरण पोषण देने में सक्षम है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि एक व्यक्ति को साधारण जीवन यापन करने में 4-5 हजार रुपये की आवश्यकता होती है, लेकिन स्पष्ट किया है कि कम रुपये की भी आवश्यकता हो सकती है।

11— इस प्रकार आवेदिका के उक्त साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है कि आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। आवेदिका के साक्षी साबिर (आ.सा.2) ने भी आवेदिका की आय का कोई साधन नहीं होना बताया है और आवेदिका को भरण पोषण हेतु प्रति माह रुपये 8,000 की आवश्यकता होना बताया है। अनावेदक ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अपने परिवार की आय लगभग ढाई से तीन लाख रुपये वार्षिक होना स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम है तथा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि साधारण जीवन यापन करने के लिये रुपये 4 से 5 हजार की आवश्यकता हो सकती है।

12— आवेदिका की ओर से अनावेदक की कृषिभूमि होने के संबंध में प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श पी 2 के राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है, जिसे अनावेदक ने सही होना स्वीकार किया है।

13— आवेदिका की ओर से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी पश्चिम निमाड म.प्र. के न्यायालय के आपराधिक पुनरीक्षण क्र. 8/97 एवं 32/97 आदेश दि. 10 जुलाई 1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका को माननीय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अनावेदक से तलाक होने की दिनांक तक ही भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था उसके पश्चात से आवेदिका को अनावेदक द्वारा कोई भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई थी तथा आवेदिका द्वारा अनावेदक से तलाक के पश्चात उसके द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया जाना स्वीकृत तथ्य है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तथा अनावेदक एक स्वस्थ एवं शारीरिक एवं मानसिक दशा वाला व्यक्ति है तथा आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम है। उभय पक्षों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं वर्तमान महगाई की दर को देखते हुए एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन रुपये 100 की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में आवेदिका, अनावेदक से प्रति माह रुपये 3000 की दर से भरण पोषण पाने की अधिकारी प्रतीत होती है। अतः उक्त विचारणीय प्रश्न “प्रमाणित होते हैं”।

—विचारणीय प्रश्न क. (iv) पर सकारण निष्कर्ष —

14— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अनावेदक का कथन है कि आवेदिका का पुत्र रमजान आवेदिका का भरण पोषण कर सकता है। रमजान इंदौर में नौकरी करता है और उसे प्रतिमाह रुपये 10 से 11 हजार की आय प्राप्त करता है। आवेदिका अपने पुत्र रमजान के साथ निवास कर रही है, लेकिन अनावेदक ने इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं कि वास्तव में आवेदिका के पुत्र की कितनी आय है एवं आवेदिका का भरण पोषण करने में समक्ष है।

15— ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदिका का पुत्र आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम है अथवा आवेदिका ने अपने पुत्र को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया इस कारण आवेदिका का प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है। अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष इस रूप में दिया जाता है कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के संयोजन का दोष नहीं है।

—विचारणीय प्रश्न क. (v) पर सकारण निष्कर्ष —

16— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अनावेदक ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, लेकिन आवेदिका ने साक्ष्य में भी स्पष्ट किया है कि पहले उसकी मां उसका भरण पोषण करती थी और अब वह लगभग 90 वर्ष की हो चुकी है और उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है इसलिये उसने यह आवेदन पेश किया है। दं. प्र.एं. की धारा 125 में भी भरण पोषण का आवेदन पेश करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा केवल विलंब के आधार पर उक्त आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक न्याय दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दं.पं.सं. की धारा 125 के आवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यद्यपि उसे शीघ्रतम अवसर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस मामले में आवेदिका ने स्पष्ट किया है कि पहले उसकी मां उसका भरण पोषण करती थी, किंतु अब उसकी मां लगभग 90 वर्ष की हो गई है और उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा विलंब से यह आवेदन प्रस्तुत करने का उचित कारण दर्शित होता है। अतः इस विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष इस रूप में दिया जाता है कि आवेदिका द्वारा विलंब से पेश किये जाने का पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित किया है। ऐसी

स्थिति में विलंब से पेश किया गया आवेदिका का आवेदन प्रचलन योग्य है।

17— उक्त विचारणीय प्रश्नों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में समक्ष नहीं है तथा अनावेदक उसका भरण पोषण करने में सक्षम है तथा आवेदिका का अनावेदक से विवाह विच्छेद होने के बाद उसके द्वारा पुनर्विवाह नहीं होने से अनावेदक उसके भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में आवेदिका, अनावेदक से प्रति माह रुपये 3000 भरण पोषण आवेदन दि. 24.08.15 से पाने की अधिकारी है।

1. अतः आवेदिका का आवेदन दं.प्र.सं. की धारा 125 स्वीकार करते हुए अनावेदक को आदेश दिया जाता है कि आवेदन दिनांक से आवेदिका को प्रति माह रुपये 3000 प्रति माह की 10 तारीख तक अदा करे अथवा न्यायालय में जमा कराए।
2. आवेदिका का आवेदन व्यय रुपये 500 निर्धारित किया जाता है जो अनावेदक द्वारा आवेदिका को अदा किए जाए।
3. आदेश की एक प्रतिलिपि आवेदिका को निशुल्क दी जाए।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प